न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 2/2024

प्रार्थीगण

1. बाबूलाल पुत्र स्व. हिम्मताराम
2. मोहनलाल पुत्र स्व. हिम्मताराम जातियान खारडिया सीरवी, निवासीगण सुभाष चौक सीरवीबास ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. गोपाराम पुत्र अनाराम
2. चुनीदेवी पत्नी अनाराम
3. दुर्गादेवी पुत्री अनाराम
4. भंवरलाल पुत्र अनाराम
5. जितेन्द्र कुमार पुत्र बोराराम उर्फ भोराराम
6. बोराराम उर्फ भोराराम पुत्र रावतराम
7. टीलाराम पुत्र जोगाराम
8. लीलादेवी पुत्री समा
9. सुषीला पुत्री समा जातियान सीरवी, निवासीगण रा.बा.मा. विद्यालय भावी के पास सीरवीबास ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
10. शाखा प्रबन्धक यूकों बैंक शाखा भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
11. शाखा प्रबन्धक विजया बैंक शाखा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ओर से श्री राजेन्द्र बोराणा एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 10 व 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 12 सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> दिनांक :– 05/05/26

संक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1169/1 रकबा 1.8850 हैक्टेयर आयी हुयी है जो प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसके खाता संख्या 1140 है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि के उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की सयुक्त खातेदारीसुदा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1168 रकबा 3.6890 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 375 है तथा खसरा संख्या 1168 के उतर दिशा में खसरा संख्या 1166 रकबा 3.4706 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है। जो ग्राम भावी से ग्राम बीरावास को जाता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 9 द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या 1168 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे खसरा संख्या 1168 की भूमि में से लगभग 12 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1169/1 में आने–जाने हेतु कायम किया तथा प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 1168 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे कायम किये गये रास्ते को ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1169/1 में आने–जाने हेतु उपयोग करते आ रहे है। उक्त कायम किये गये रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी. सी.डी. से दर्शित किया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 की सयुक्त खातेदारी भूमि

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा संख्या 1168 के उत्तर दिशा की ओर खसरा संख्या 1166 रकबा 3.4706 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है, जिसके खाता संख्या 1158 है। उक्त गै. मु. रास्ता ग्राम भावी से ग्राम बीरावास की ओर जाता है जो मुडिया रोड़ है। उक्त गै.मु. रास्ता से प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित उनकी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1169/1 में काश्त कार्य हेतु आने-जाने हेतु व कृषि से सम्बंधित समस्त साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1168 की पूर्वी माठ पर स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. का उपयोग करते है, तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1169/1 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक व सबसे निकटतम रास्ता है, इसके अलावा और कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौके पर नहीं है। भूमि खसरा संख्या 1168 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार भूमि खसरा संख्या 1169/1 में पहुंचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने खसरा संख्या 1168 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज से 15-20 दिन पूर्व ट्रेक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को खुर्द बुर्द कर दिया व तारबन्दी कर बंद कर दिया, जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1169/1 में आने-जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1169/1 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि ही है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थीगण का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 1168 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के विरूद्ध खसरा संख्या 1168 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। अप्रार्थी संख्या 5 जितेन्द्र का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 10 के यहा रहन होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 10 को पक्षकार बनाया गया है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 बोराराम का 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 11 के यहा रहन होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 11 को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 10 व 11 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है इसलिए अप्रार्थी संख्या 10 व 11 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नही होकर फोरमल पक्षकार है। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1168 रकबा 3.6890 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. 12 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ते की भूमि मार्क ए.बी.सी.डी. खसरा संख्या 1168 रकबा 3.6890 हैक्टेयर का भाग है, जो राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1169/1 रकबा 1.8850 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को काश्त कार्य करने के लिए आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1168 रकबा 3.6890 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो

प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी भूमि में पहुचता है, जिसको प्रार्थीगण हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेते है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे । राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 1168 रकबा 3.6890 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1169/1 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 1168 रकबा 3.6890 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 9 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 9 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1169/1 रकबा 1.8850 हैक्टेयर में काश्त कार्य हेतु आने–जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1168 में से किसी प्रकार का कोई रास्ता नही चलता है तथा न ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 1169/1 में आने जाने हेतु अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1168 में से आने–जाने हेतु कभी कोई सहमति ही प्रदान की है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1169/1 में आने–जाने हेतु सबसे निकटतम रास्ता ग्राम बीरावास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 319 रकबा 8.2437 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता स्थित है। जिससे होकर ही प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 1169/1 में आना–जाना करते है। खसरा नम्बर 1166 गै. मु. रास्ता की भूमि जरूर आई हुई है लेकिन प्रार्थीगण उक्त गै.मु. रास्ता की भूमि में पहुचने हेतु कभी भी अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1168 का उपयोग उपभोग नही किया है, जबकि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1169/1 में आने–जाने हेतु निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 319 गै.मु. रास्ता में से स्थित है, जो राजस्व ग्राम बीरावास की सरहद में आया हुआ है। इसी खसरे की भूमि में से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि आना जाना करते है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1168 में से किसी प्रकार का कोई रास्ता स्थित ही नही है तथा न ही प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1168 में से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 1169/1 में काश्त कार्य हेतु आना–जाना करते थे। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को तारबन्दी कर खुर्द बुर्द करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण अपनी भूमि में काश्त कार्य हेतु आने–जाने हेतु सरकारी रास्ता की भूमि स्थित होने के उपरान्त नये रास्ते की मांग कर रहे है, जबकि धारा 251 ए के अन्तर्गत नया रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नही है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1169/1 में आने–जाने हेतु पहले से रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण को नया रास्ता नही दिया जा सकता है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर खारिज किये जाने का आदेश फरमावे। अप्रार्थी सं. 10, 11 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 10, 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 12 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के ग्राम भावी एसबी खेत के खसरा सं. 5699/1169 में आने जाने हेतु वर्तमान में मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अपने खेत में आस–पडौस के खेतों से आना जाना करते है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही निकटतम रास्ता है प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं है। प्रार्थी के द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में ग्राम भावी एसबी के खसरा सं. 1168 में से 11 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु जायेगी जिसकी वर्तमान डीएलसी दर से दो गुणा राशि निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा सं.	प्रार्थी का हिस्सा	रास्ते की भूमि का रकबा	वर्तमान डीएलसी दर प्रति हैक्टयर	डीएलसी को दो गुणा से राशि
1	गोपाराम पुत्र अन्नाराम	1168	1/16 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	3791
2	चुन्नी देवी पत्नी अन्नाराम	1168	1/16 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	3791
3	जितेन्द्र कुमार पुत्र बोगराम उर्फ भोगराम	1168	1/4 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	15164
4	टीलाराम पुत्र जोगाराम	1168	1/8 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	7582
5	दुर्गादेवी पुत्री अन्नाराम	1168	1/16 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	3791
6	बोराराम उर्फ भोराराम पुत्र रावतराम	1168	1/4 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	15164
7	भंवरलाल पुत्र अन्नाराम	1168	1/16 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	3791
8	लीलादेवी पुत्री समा	1168	1/16 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	3791
9	सुशीला पुत्री समा	1168	1/16 हिस्सा	11 बिस्वा यानि 0.0892 हैक्टयर	340000	3791

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका रिपोर्ट दिनांक 09.01.2026 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को अदा करने को तैयार है। प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी के पूर्व खसरा नंबर 1169/1 थे जिसके वर्तमान खसरा नंबर 5699/1169 दर्ज है जिसके संबंध में सरकारी पैरोकार द्वारा जरिये पत्र कथन किया कि उक्त प्रकरण में ग्राम भावी एसबी के खसरा नंबर 1169/1 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है, ग्राम भावी एसबी के खसरा नंबर 1169/1 का बाबुलाल वगैरा द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किया गया जिसके फलस्वरूप नामान्तरकरण सं. 3615 के अनुसार खसरा सं. 1169/1 के स्थान पर नवीन खसरा सं. 5699/1169 मोहनलाल पुत्र हिम्मताराम के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज हुआ।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी एस.बी. तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 5699/1169 रकबा 0.7807 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 1168 रकबा 3.6890 हैक्टेयर के मार्क भाग ए,बी,सी,डी से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा

नम्बर 5699/1169 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होती है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 5699/1169 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 09.01.2026 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थीगण तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 09.01.2026 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेष माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 05/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा